

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और नैर्दिष्ट सिफारिशें ।</p> <p>(राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)</p>	<p>CF, 21/01/21 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।</p>
----	---	--

दिनांक :--- 05/01/21

स्थान

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
हस्ताक्षर Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

नाम

सरकारी मोहर